संख्या सा-3-1070/दस-930-83

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1991।

विषय :--दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण-स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा0-3-561/दस-946-87 ; दिनांक 22 मार्च, 1991 में उपरोक्त श्रेणी के पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के संबंध में स्वतः स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा यह समझा जाता था कि अब किसी प्रकार की शंका की सम्भावना नहीं रह गई है। परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय कार्यालयों में शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 1991 को त्रुटिपूर्ण ढंग से समझा गया है और इस आधार पर त्रुटिपूर्ण आहरण करके आर्थिक अनियमितता बरती जा रही है।

2--इस संदर्भ में पुनः यह कहना है कि दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन पर वेतन निर्धारण के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :--

(I) सेना से सेवानिवृत्त की तिथि को अनुमन्य वेतन तथा

(II) दिनांक 1-1-1986 को 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते की धनराशि को जोड़कर जो संहृत धनराशि आये वही धनराशि सैनिक पेंशनरों का अन्तिम आहरित वेतन मान लिया जाये तथा उक्त धनराशि से दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि को घटा करके पुनर्योजित पद का वेतन निर्धारित किया जाये।

--उपरोक्त उप प्रस्तर (I) में उल्लिखित "अनुमन्य वेतन" से तात्पर्य मूल वेतन जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो, भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है, से है। इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुमन्य मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम राहत या कोई अन्य भत्ता जोड़ कर तथा उसके योग की धनराशि पर दिनांक 1-1-1986 का महंगाई भत्ता, अन्तरिम राहत या कोई अन्य भत्ता जोड़ कर तथा उसके योग की धनराशि को अन्तिम आहरित वेतन माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कल्पना करके वेतन एवं भत्ते आहरित किये गये हैं या किये जा रहे हैं, तो वे अनियमित हैं और उन्हें तत्काल समाप्त करके त्रुटिपूर्ण भुगतान की गई समस्त धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही की जाये।

3--उपरोक्त श्रेणी के जो सैनिक पेंशनर नियत वेतन पर पुनर्योजित हैं उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अन्तरिम राहत कदापि अनुमन्य नहीं है; अतएव इस मद की धनराशि का किसी भी रूप में भुगतान किया जाना अनियमित है। यदि इसका भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जाये। इसी प्रकार से दिनांक 1-1-1986 के पूर्व मूल वेतन 2050 रुपये की धनराशि से न्यून धनराशि पर तदर्थ महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं था तथा दिनांक 1-1-1986 से तदर्थ महंगाई भत्ता बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अतएव इस धनराशि को भी अन्तिम वेतन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि इस धनराशि को लेखे में लिया गया है या दिनांक 1-1-1986 के उपरान्त भुगतान किया गया है तो वह अनियमित है और उसकी भी वसूली सुनिश्चित की जाये।

अनुरोध

सेवा निवृत्ति शासनादेश संख्या सा-3-561/दस-946-87, दिनांक 22 मार्च, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के इन आदेशों के अनुसार पेंशनरों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे जो दिनांक 1-1-1986 के पूर्व नियुक्त है तथा जिनका वेतन, समय-समय पर विभिन्न पदों पर संविदा पर नियुक्त हैं तथा नियत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। चुका है।

[illegible] का वेतन निर्धारित नहीं होगा जो नियमित रूप से वेतनमान में [illegible] रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित किया जा

5--अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग में ऐसे मामलों का परीक्षण करा लें तथा यदि उपरोक्त प्रकार की अनियमितता की गई है तो उसे तुरन्त रोकने तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली करने का कष्ट करें।

6--इस आदेश को प्राथमिकता प्रदान की जाये तथा इसकी प्राप्ति भी कृपया स्वीकार की जावे।

भवदीय,

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव

संख्या सा-3-1070 (1) /दस-930-83, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1 --महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम, एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
2 --सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4--प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।
5--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, लखनऊ।
6--समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव ।

11,000-(हिन्दी) ।

पी0एल0यू0पी0--ए0पी0 51 सा0वित्त--19-8-91--(123